



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



-:आवश्यक सूचना:-

ज्ञापांक:SHSB/AYUSH/59/17/Part-A/3012

पटना, दिनांक: 28.07.2018

विज्ञापन संख्या 03/2018 के तहत Certificate in Community Health for GNM/B.Sc Nursing के लिए दिनांक 28.07.2018 को लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु सभी कोटि के लिए न्यूनतम अर्हतांक 30 (तीस) प्रतिशत निर्धारित की गयी है। दिनांक 30 जुलाई, 2018 को परीक्षा का परिणाम राज्य स्वास्थ्य समिति के वेबसाइट-www.statehealthsocietybihar.org पर प्रकाशित किया जाएगा। परिणाम प्रकाशनोपरांत उत्तीर्ण होने वाले सभी अभ्यर्थियों का प्रमाण-पत्र सत्यापन किये जाने हेतु निम्नवत तिथि का निर्धारण किया गया है:-

प्रमाण-पत्र सत्यापन	दिनांक	दिनांक 31.07.2018 (मंगलवार)
	Reporting Time	09:00 AM
	समय	09:30 AM
	Venue	राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार का कार्यालय, परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना-14

2. लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण-पत्रों का सत्यापन उक्त निर्धारित तिथि को किया जाना निर्धारित है जिसमें निम्नलिखित मूल प्रमाण-पत्रों (Original Certificates) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा:-

- जन्म तिथि प्रमाण-पत्र (मैट्रिक/10वीं का प्रमाण-पत्र)
- मैट्रिक, इंटरमिडियेट एवं GNM/B.Sc Nursing का प्रमाण-पत्र एवं अंक प्रमाण-पत्र (मूल रूप में)
- Bihar Nurses Registration Council, पटना का पंजीयन प्रमाण-पत्र (मूल रूप में)
- नर्सिंग में स्नातकोत्तर (यदि हो तो) का मूल प्रमाण-पत्र एवं अंक प्रमाण-पत्र
- निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र (यदि आरक्षण कोटि का दावा हो)
- हाल में खिंचाया गया पासपोर्ट साईज पाँच रंगीन फोटो
- पहचान पत्र (Voter Identity Card, Aadhar Card, Driving Licence, PAN Card etc.)
- सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निःशक्तता (दिव्यांगता) प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो तो)
- स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार/राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत कार्यरत GNM/Staff Nurse के लिए संबंधित संस्थान के प्रधान/प्रभारी द्वारा निर्गत कार्यानुभव (कार्यरत रहने की अवधि सहित) का मूल प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो तो)
- भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानियों के नाती/नतिनी/पोता/पोती के लिए आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानियों के नाती/नतिनी/पोता/पोती होने का) प्रमाण-पत्र एवं पहचान-पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए (यदि लागू हो तो) (मूल प्रमाण-पत्र)

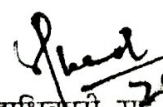
3. उपर्युक्त पद हेतु निम्नांकित प्रकार के अभ्यर्थी चयन हेतु पात्र नहीं होंगे:-

- जिन पर कोई निगरानी का मामला चल रहा हो।
- जिन पर कोई विभागीय कार्यवाही चल रही हो अथवा, किसी विभागीय कार्यवाही के अधीन दण्डित हुए हों।
- जिन पर कोई गंभीर आरोप विचाराधीन हो।
- जिन पर किसी भी तरह का कोई आपराधिक मामला दर्ज हो।

अतः अभ्यर्थियों को इस आशय का एक Undertaking देना होगा कि उनके विरुद्ध उपर्युक्त में से कोई भी मामला/कार्यवाही दर्ज/विचाराधीन नहीं है।

4. अभ्यर्थी उपर्युक्त वर्णित प्रमाण-पत्रों की मूलप्रति एवं उसका दो सेट स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ उक्त निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर प्रमाण-पत्र सत्यापन हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे; अन्यथा प्रमाण-पत्र का सत्यापन नहीं होने की स्थिति में अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रमाण-पत्र सत्यापन में शामिल होने के लिए कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

नोट-यह मात्र लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र का सत्यापन के लिए है एवं इससे उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के चयन का दावा नहीं बनता है। चयन कोटिवार उपलब्ध रिक्ति के अनुरूप लिखित परीक्षा के मेधाक्रम के आधार पर ही होगा तथा इस क्रम में जो अभ्यर्थी उत्तीर्ण होने के बावजूद चयनित नहीं हो पाते हैं उनके किसी भी दावे पर भविष्य की रिक्ति के विरुद्ध चयन पर विचार नहीं होगा।


 प्रशासी पदाधिकारी-सह-परीक्षा नियंत्रक
 राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार।